न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2026-88RAAJodhpur2026-35RTA225 Aaduram Vs Bhanwarlal etc

आदूराम पुत्र कानाराम जाति सुथार निवासी–डूडीनगर उर्फ भक्तीनगर, तहसील आऊ, जिला फलोदी।

अपीलाण्ट ...

ब
ना
म

1. भंवरलाल पुत्र सुगनाराम,
2. रावलराम पुत्र सुरताराम
3. कमलादेवी पत्नी मूलाराम
4. जसराज पुत्र मूलाराम
5. नकताराम पुत्र मुलाराम
6. मोतीराम पुत्र मूलाराम
7. सहीराम पुत्र मूलाराम
   सभी जातियान सुथार निवासीगण डूडीनगर उर्फ भक्तीनगर, तहसील आऊ, जिला फलोदी।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार आऊ जिला फलोदी।

रेस्पो.....

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 05 अगस्त 2025 सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी आऊ राजस्व प्रार्थना पत्र सं 20/2024 अनवान भंवरलाल बनाम रावलराम इत्यादि

उपस्थित–
श्री रोशनलाल, अधिवक्ता–अपीलाण्ट
श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 01
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो. संख्या 08

नि र्ण य

दिनांक : 25 मई 2026

अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी आऊ द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 20/2024 अनवान भंवरलाल बनाम रावलराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 05 अगस्त 2025 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 03 फरवरी 2026 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट की ओर से अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत आवेदन प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी खसरा नंबर 1274/274 रकबा 0.4694 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1276/274 रकबा 0.0647 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1277/274 रकबा 0.6638 हैक्टेयर ग्राम डूडीनगर उर्फ भक्ति नगर तहसील आऊ में आवागमन हेतु अपीलार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1280/274 रकबा 0.9662 हैक्टेयर एवं रेस्पोडेंट संख्या दो से सात की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 274/33 रकबा 0.7230 हैक्टेयर में से मार्क ए. बी.सी.डी. 20 फीट चौड़ा रास्ता चाहा गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थन पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। रेस्पोडेंट संख्या दो से सात ने जवाब प्रस्तुत कर रास्ता दिये जाने में अपनी सहमति प्रदान की। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 05 अगस्त 2025 के जरिये प्रार्थी/रेस्पो. संख्या एक का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा तलब मौका रिपोर्ट पक्षकारों की अनुपस्थिति में तैयार की गई है तथा मौके पर उपलब्ध सभी वैकल्पिक रास्तों की जांच नही की गई है। वर्तमान में प्रत्यर्थी संख्या 1 के खेत तक रास्ता चल रहा है जो विकल्प के रूप में उपलब्ध है। कानूनन वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने से नये रास्ते का आदेश पारित नही किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय में मौका रिपोर्ट में वैकल्पिक रास्ते के संबंध में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नही हुई है। रेस्पोडेंट संख्या एक के पास वैकल्पिक रासता मौजूद होने पर भी जानबूझ कर नये रास्ते की मांग की गई है तथा खसरा संख्या 274/33 के खातेदारों द्वारा सहमति दिये जाने के बाद जहां से रास्ते की मांग की गई थी, वहां से नही देकर जानबूझकर अपीलार्थी के खेत में से रास्ते का आदेश पारित किया गया है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश इस्तदुआ के विपरीत पारित किया गया होने से अपास्त किये जाने योग्य है। यह उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय द्वारा जो रास्ता दिया गया है, वह अत्यधिक चौडा व अधिकतम चौड़ाई का दिया गया है तथा पक्षकारों के मध्य समझाईश का भी प्रयास नही किया गया है तथा न ही रास्ते के बदले भूमि का विकल्प दिया गया है। इस कारण भी आलोच्य आदेश रास्ते के नियमों के विपरीत पारित किया गया होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी के द्वारा अधिवक्ता नियुक्त किया था, जिनके द्वारा निर्देश दिये गये थे कि जरूरत होने पर न्यायालय में बुला लिया जायेगा, प्रत्येक पेशी पर उपस्थित होने की आवश्यकता नही है। इसलिए अपीलार्थी अधिवक्ता से सम्पर्क नही कर सका। वर्तमान में अपीलार्थी की भूमि में मौके पर फसल खडी है, फिर भी दिनांक 25–01–2026 को मौके पर प्रत्यर्थी संख्या 1 आया तथा कब्जे से बेदखल करने की धमकी दी तथा कहा कि वह अब रास्ता निकलवा देगा, जिस पर अपीलार्थी द्वारा अधिवक्ता से सम्पर्क किया तो उनके द्वारा नकल हेतु दिनांक 27–01–2026 को आवेदन किया गया जो नकल तैयार होकर दिनांक 27–01–2026 को प्राप्त हुई, जिसे पढने पर प्रथम बार आलोच्य आदेश की जानकारी हुई। जानकारी से अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गई है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05 अगस्त 2025 को निरस्त फरमाया जावे।

जबाब में अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए कथन किया कि रेस्पोडेंट संख्या एक के आवागमन हेतु मौके पर अपीलाधीन रास्ता ही लघुतम एवं निकटतम रास्ता है, जिसकी ताईद विचारण न्यायालय द्वारा तलब मौका रिपोर्ट से होती है। यह उल्लेखनीय है कि उक्त रास्ता पूर्व से ही पगडण्डी के रूप में चलायमान रहा है। अपीलांट की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष मौका रिपोर्ट पर किसी प्रकार की आपत्तियॉ प्रस्तुत नहीं की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत प्राप्त मौका रिपोर्ट के आधार पर धारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

251–ए की मंशा अनुरूप विधिसम्मत आदेश पारित किया है। अपीलांट द्वारा इतनी लंबी अवधि बाद हस्तगत अपील विलंब से पेश की गई है, जिसका कोई समुचित कारण नहीं दर्शाया गया है। ऐसी स्थिति मे प्रस्तुत अपील सारहीन एवं म्याद बाधित होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 20.03.2025 के अवलोकन मुताबिक रेस्पोडेंट संख्या एक के खातेदारी खसरा नंबर 1274/274 रकबा 0.4694 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1276/274 रकबा 0.0647 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1277/274 रकबा 0.6638 हैक्टेयर ग्राम डूडीनगर उर्फ भक्ति नगर तहसील आऊ में आवागमन हेतु वर्तमान में कोई कटाणी रास्ता मौजूद नहीं है। रेस्पोडेंट संख्या एक की उक्त खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु मौके पर अपीलांट की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1280/274 में से मार्क ए से बी लघुतम एवं निकटतम रास्ता बताया गया है। यह उल्लेखनीय है कि उक्त रास्ता वर्तमान में पगडण्डी के रूप में चलायमान बताया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त मौका फर्द के आधार पर धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की मंशा अनुरूप लघुतम एवं निकटतम रास्ते का आदेश पारित किया जाना पाया जाता है।

अपीलांट उज्र है कि रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा चाहे गये स्थान के बजाय अपीलांट की भूमि में से रास्ता दिया गया है। इस संबंध में उपलबध अभिलेख के अवलोकन से प्रकट होता है। रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा चाहे गये स्थान से रास्ते की लंबाई अधिक है तथा अपीलाधीन रास्ता मौके पर पगडण्डी के रूप में चलायमान है, जिससे उक्त रास्ता सुगत प्रतीत होता है। यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष मौका रिपोर्ट पर किसी प्रकार की आपत्तियॉ प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का उक्त उज्र स्वीकार योग्य नही पाया जाता है। यह भी उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत उनकी उपस्थिति में अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, फिर भी अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील विलंब से पेश की गई है, जिसका कोई संतोषजनक कारण स्पष्ट नहीं

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

किया गया है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत पाये जाने से अदालत हाजा की राय में अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट म्याद बाधित एवं गुणावगुण पर सारहीन पाये जाने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी आऊ द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 20 /2024 अनवान भंवरलाल बनाम रावलराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 05 अगस्त 2025 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील अधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील अधिकारी
जोधपुर